

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
पीठासीन अधिकारी:— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
किरताराम गोदपुत्र (भतीज) केसाराम जाति जाट निवीस धने की ढाणी तहसील सिणधरी		1. लूम्बाराम पुत्र सोनाराम 2. कुम्भाराम पुत्र सोनाराम 3. रूपाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवीस धने की ढाणी तहसील सिणधरी 4. तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:— 88, 53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :- 178/2016
निर्णय दिनांक :- 25.06.2025

वादी की ओर से श्री मुकेश जैन अधिवक्ता, तथा राज. पैरोकर की उपस्थिति एवं शेष की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 25.06.2025 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी सिणधरी के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:— वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 25.06.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते है, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज तारीख 25.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4.रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़			